



केंद्रीय कर आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL TAX

सिकंदराबाद जीएसटी आयुक्तालय :: जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड,
SECUNDERABAD GST COMMISSIONERATE :: GST BHAWAN, L.B.STADIUM ROAD

बशीरबाग हैदराबाद - 500004

BASHEERBAGH :: HYDERABAD – 500 004

Date: As e-signed

जन सूचना /PUBLIC NOTICE No. :05/2025-26-RTI

विषय: सिकंदराबाद जीएसटी आयुक्तालय - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के पदनाम - के संबंध में।

Sub: Secunderabad GST Commissionerate – Right to Information Act, 2005 – Designation of CPIO– Reg.

--:O:--

- सभी संबंधितों की जानकारी के लिए और इस संबंध में जारी पूर्व जन सूचना के अधिक्रमण में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के अनुसार, निम्नलिखित अधिकारी को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO), प्रधान कार्यालय, जीएसटी आयुक्तालय, सिकंदराबाद के रूप में तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेश तक के लिए नामित किया जाता है।

For the information of all concerned and in supersession of the earlier Public Notices issued in this regard, in terms of sub-section (1) and sub-section (2) of Section 5 of the Right to Information Act, 2005, the following officer of Secunderabad GST Commissionerate is designated as Central Public Information Officer (CPIO), Headquarters Office with immediate effect and until further orders.

S. No.	Jurisdiction क्षेत्राधिकार	Designation and Address of the Central Public Information Officer (CPIO) केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) का पदनाम एवं पता
1	Headquarters Office, Secunderabad GST Commissionerate. मुख्यालय कार्यालय जीएसटी आयुक्तालय, सिकंदराबाद	Boilla Venkata Ramana Reddy Assistant Commissioner, Central Tax, Secunderabad GST Commissionerate, Hyderabad. Gov. mail id.- bvenkatara.g099101@gov.in Cont. No. – 9866197212 बोइल्ला वेंकट रामना रेड्डी सहायक आयुक्त केंद्रीय कर, सिकंदराबाद जीएसटी आयुक्तालय, हैदराबाद ईमेल : bvenkatara.g099101@gov.in संपर्क संख्या : 9866197212

2. मुख्यालय कार्यालय, सिकंदराबाद जीएसटी आयुक्तालय, जीएसटी भवन, एलबी स्टेडियम रोड, बशीरबाग, हैदराबाद-500004 में आरटीआई अधिनियम से संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त केंद्रीय कर अधीक्षक को सीपीआईओ को संबोधित आवेदनों/अनुरोधों को प्राप्त करने हेतु सीएपीआईओ (CAPIO) नामित किया गया है।

The Superintendent of Central Tax (who is assigned the work relating to RTI Act in Headquarters Office, Secunderabad GST Commissionerate, GST Bhavan, LB Stadium Road, Basheerbagh, Hyderabad-500004) is designated as CAPIO for receiving applications/requests addressed to CPIO.

3. जब भी केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी, आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन को किसी अन्य प्राधिकरण को हस्तांतरित करता है जो मांगी गई जानकारी देने की स्थिति में है, तो वह प्राधिकरण केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करेगा जहां तक ऐसे मुद्दे का संबंध है।

Whenever the CPIO, transfers the application under RTI Act to any other authority who is in a position to give the information called for, that authority shall act as CPIO as far as such issue is concerned.

4. अनुरोध है कि इस जन सूचना की विषय-वस्तु का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

It is requested that wide publicity may be given to the contents of this public notice.

5. यह आयुक्त, सिकंदराबाद आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Commissioner, Secunderabad Commissionerate.

(पी. माधुरी / P MADHUREE)
संयुक्त आयुक्त / Joint Commissioner

प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई / Copy submitted to

1. प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, हैदराबाद क्षेत्र / The Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Hyderabad Zone.
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, हैदराबाद/मेडचल/रंगा रेड्डी जीएसटी आयुक्तालय / लेखापरीक्षा-I/लेखापरीक्षा-II/अपील-I/अपील-II आयुक्तालय / The Principal

Commissioner/ Commissioner, Hyderabad/Medchal/Ranga
Reddy/Audit-I / Audit-II / Appeals-I / Appeals-II/Customs
Commissionerate.

प्रतिलिपि/Copy to:

1. फेडरेशन ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन हाउस, 11-6-841, रेड हिल्स, हैदराबाद-500004 और अन्य संबंधित संघ (मेल के माध्यम से)
The Federation of Telangana and Andhra Pradesh Chambers of Commerce and Industry, Federation House, 11-6- 841, Red Hills, Hyderabad – 500004 and other concerned Associations (through mail)
2. उप/सहायक आयुक्त केन्द्रीय कर,
अंबरपेट/बेगमपेट/मुशीराबाद/सिकंदराबाद/तरनाका/उप्पल एवं वारंगल मंडल
The Deputy/Assistant Commissioner of Central Tax, Amberpet / Begumpet / Kapra / Secunderabad / Tarnaka / Uppal and Warangal Division.
3. सूचना पट्ट Notice Board
4. वेबमास्टर, हैदराबाद जीएसटी जोन की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए The Webmaster, to host on the GST, Hyderabad Zone website.
5. मास्टर फाइल Master File.